रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2000/पौष 28, 1921
No. 8] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2000/PAUSA 28, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2000

सं. टीएएमपी/1/2000-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार सभी महापत्तनों द्वारा साझा तौर पर अपनाए जाने के लिए बर्थ किराया प्रभार के लिए इकाई को 24 घंटे के स्थान पर 8 घंटे अधिसूचित करता है।

मामला सं. टीएएमपी/1/2000-सामान्य

आदेश

(जनवरी, 2000 के 11वें दिन को पारित किया गया)

बर्थ किराया के लिए 24 घंटे की न्यूनतम इकाई को एक छोटी इकाई में कम करने से संबंधित मुद्दा इस प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित करता रहा है।

2. चेन्नई कार्यशाला (फरवरी, 1998) में इस मुद्दे पर एक सर्वसम्मत दिशानिर्देश अपनाया गया था। दिशानिर्देश सं. 40 निम्नवत् है :—

"बर्थिंग और बर्थ, दोनों से संबंधित विलंबों के बारे में समस्याएं बनी रही हैं। टीएएमपी को इन दोनों समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। केवल बर्थों पर विलंबों के संबंध में भी दो किस्म की समस्याएं है—पोत समय की हानि और बर्थ किराया प्रभारों के असंगत प्रयोग के कारण होने वाले नुकसान। यदि टीएएमपी के लिए पोत समय की हानि के कारण होने वाले नुकसानों जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करना संभव नहीं है, इसे अन्य मुद्दे पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए और बर्थ किराया प्रभारों को तर्कसंगत बनाना चाहिए। इस समय प्रचलित 24 घंटे के आधार पर बर्थ किराया प्रभार की पद्धति के स्थान पर '8-घंटे' के प्रभार को अपनाना अधिक व्यावहारिक होगा।"

3. दिशानिर्देश से संकेत प्राप्त कर, एमबीपीटी ने वर्तमान 24 घंटे के आधार के स्थान पर 8-घंटे के आधार पर संयुक्त बर्थ किराया प्रभार को पहले ही संशोधित कर दिया है। इसे एमबीपीटी के एमओटी बर्थ के मामले में भी अपना लिया गया है। टीपीटी ने भी इस मुद्दे पर हमारे

दिशानिर्देश के अनुसार बर्थ किराया प्रभार की इकाई को 24 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया है। सीएचपीटी और पीपीटी के मामलों में भी प्रशुल्कों के व्यापक संशोधन से संबंधित उनके प्रस्तावों के संदर्भ में उसी प्रावधान को लागू करने का निर्णय किया गया है।

4. सभी तथ्यों पर विचार करते हुए और समग्र ध्यान देते हुए प्राधिकरण एतद्द्वारा सभी महापत्तनों के लिए साझा तौर पर अपनाने के लिए बर्थ किराया प्रभार की इकाई को वर्तमान 24 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने का निर्णय करता है।

5. सभी महापत्तन न्यासों (एमबीपीटी और टीपीटी को छोड़कर) को एतद्द्वारा अपने दरों के मान में तदनुसार उपयुक्त परिवर्तन शामिल करने का निर्देश दिया जाता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[ए/III/IV/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2000

No. TAMP/1/2000-Genl.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the unit for berth hire charges from 24-hours to 8-hours for common adoption by all the Major Ports as in the Order appended hereto.

Case No. TAMP/1/2000-Genl.

ORDER

(Passed on this 11th day of January, 2000)

The issue regarding reduction of the minimum unit of 24-hour for berth hire into a smaller unit has been engaging the attention of the Authority.

2. The Chennai Workshop (February 1998) adopted a unanimous Guideline on this point. Guideline No. 40 reads as follows:

> "There have been problems relating to delays both in berthing and at berths. The TAMP must find a way of dealing with both these problems. Even in respect only of delays at berths, there are two types of problems—damages caused by loss of ship time and irrational application of berth hire charges. Even if it is not possible for the TAMP to go into issues like damages caused by loss of ship time, it must definitely go into the other issue and rationalise berth hire charges. Instead of the current practice of denoting berth hire charges on 24-hour basis it will be more realistic to adopt a '8-hourly' charge."

3. Taking a cue from the guideline, the MBPT has already amended the composite berth hire charge on an 8-hour basis instead of the existing 24-hour basis. This has been adopted also in the case of the MBPT's MOT berth. The TPT has also reduced the unit of berth hire charges from 24-hours to 8-hours in conformity with our Guideline on this issue. In the cases of the CHPT and PPT also, in the context of their proposal relating to comprehensive revision of tariffs, it has been decided to introduce the same provision.

4. Taking all the facts into consideration and after a collective application of mind, the Authority hereby decides to reduce the unit of berth hire charges from the present 24-hours to 8-hours commonly for all the Major Ports.

5. All the Major Port Trusts (except MBPT and TPT) are hereby directed to introduce appropriate changes accordingly in their Scale of Rates.

S SATHYAM, Chairman

[A/III/IV/Extr./143/99]

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054